

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न 240

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

प्रत्येक पंचायत/गांव में सहकारी समितियाँ

**+240. श्री बालाशौरी वल् लभनेनी:**

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रत्येक पंचायत/गांव में दो लाख पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (ग) उक्त दो लाख समितियों में से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कितनी सहकारी समितियाँ स्थापित होने की संभावना है; और
- (घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में इस प्रयोजनार्थ कितना आवंटन किया गया है?

उत्तर

**सहकारिता मंत्री  
(श्री अमित शाह)**

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर। सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुँच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत पाँच वर्षों में देश में सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने हेतु डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है। इस योजना को पैक्स के स्तर पर अभिसरित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अनुमोदित परिव्यय का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से दिनांक 30.6.2025 तक देश भर में कुल 22,606 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यकी सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं।

योजना का प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के समन्वय से दिनांक 19.9.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) लॉन्च की गई, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा निर्धारित हुई हैं।

मार्गदर्शिका के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 4,188 पैक्स; 9,149 डेयरी और 200 मात्स्यकी सहकारी समितियां स्थापित की जानी हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, योजना के अनुमोदन के बाद से दिनांक 30.6.2025 तक, कृष्णा जिले में 5 डेयरी सहकारी समितियां सहित आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 891 डेयरी सहकारी समितियां (DCS) और 2 मात्स्यकी सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं।

\*\*\*\*\*